# झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड़, रांची–834001

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.01.2024 को झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता बैकलॉग (वि0सं0–27/2017) की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन दो सत्रों में पूर्वाह्न 10:00 से 12:00 बजे एवं अपराह्न 2:00 से 4:00 बजे तक आयोजित किया गया है । विदित है कि झारखण्ड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के रोकथाम व निवारण के लिए राज्य स्तर पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिसके तहत् तीन साल से दस साल तक का कारावास एवं 5 लाख से 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है । परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकने हेतु आयोग द्वारा अनेक समुचित प्रावधान सुनिश्चित किये गये हैं, इनमें से कई प्रावधान पहली बार प्रयोग में लाये जा रहे हैं । प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में फ्रिस्किंग एवं मेटल डिटेक्टर के द्वारा प्रवेश करते समय अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी । किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस को परीक्षा केन्द्र में ले जाना प्रतिबंधित है । परीक्षा केन्द्र में किसी प्रकार के अवैध संचार को रोकने के लिए जैमर लगे हुए हैं । अभ्यर्थियों का फेस रिकॉगनिशन और आयरिश डिटेक्शन का प्रावधान किया गया है जिससे कि वैध अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो सके । प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सी0सी0टी0वी0 अधिष्ठापित किये गये हैं, जिन्हें आयोग के कन्ट्रोल रूम से सीधे जोड़ा गया है ताकि प्रत्येक कक्षा में होने वाली गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा सके । इन गतिविधियों के समरूप किसी भी प्रकार के निर्देश का रियल टाईम आदान–प्रदान वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है जिससे कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो ।

अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि किसी प्रकार के कदाचार से बचें अन्यथा उनपर संगत प्रावधानों के तहत् कठोर कार्रवाई की जायेगी ।

ह0/–

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची